



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं. NCST/DEV-1442/HP/1/2023-ESDW-RU-IV

दिनांक : 30.04.2025

सेवा मे,

उपायुक्त,
जिला - काँगड़ा
उपयुक्त काँगड़ा स्थित धर्मशाला
हिमाचल प्रदेश-176215
ईमेल: dc-kan-hp@nic.in

विषय: जन जाति भवन को अन्यत्र स्थानांतरित न करवाने के संबंध में श्री मदन भरमौरी, राष्ट्रिय वा उपाध्यक्ष, अखिल भारतिए गद्दी जन जाति विकास समिति (.पंजी), भव्य साई मार्केट, धमेता चौक, जसूर, हिमाचल प्रदेश का अभ्यावेदन

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 17.04.2025 को आयोग में हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्री मदन भरमौरी,
राष्ट्रिय वा उपाध्यक्ष,
अखिल भारतिए गद्दी जन जाति विकास समिति (.पंजी),
भव्य साई मार्केट, धमेता चौक,
जसूर, हिमाचल प्रदेश -176201
मोब :9816901006, 9418329934

(ii) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

(iii) NIC for uploading



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल संख्या- NCST/DEV-1442/HP/1/2023-ESDW

श्री मदन भरमौरी, राष्ट्रीय वा उपाध्यक्ष, अखिल भारतिए गद्दी जन जातिए विकास समिति (पंजी.), भव्य साई मार्केट, धमेता चौक, जसूर, हिमाचल प्रदेश का 24.03.2022 का अभ्यावेदन। मोबाइल नंबर : 9816901006, 9418329934 के अभ्यावेदन के सम्बन्ध में दिनांक 17.04.2025 को आयोग मुख्यालय में आयोग की माननीय सदस्य (डॉ आशा लकड़ा) की अध्यक्षता में हुई सिटिंग/ सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग/ सुनवाई की दिनांक : 17.04.2025
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

श्री मदन भरमौरी का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने आयोग को अवगत कराया है कि नूरपुर, जिला कांगड़ा में जन जातिए भवन की आवश्यकता थी। इस हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार ने भवन के निर्माण को स्वीकृत कर दिया था व 18.09.2017 में 2.50 करोड़ की धनराशि की भी मंजूरी दे दी थी। परंतु 6 वर्ष के पश्चात निर्माण कार्य अभी भी नहीं किया गया है जबकि ठेकेदार के नाम 2019 में ही कार्य अवार्ड हो चुका है। अब बोला जा रहा है कि यह जगह ठीक नहीं है और भवन को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा रहा है। खेद का विषय यह है कि पहली वाली जगह पर कई सुविधाएं थी जबकि नयी जगह पर कोई सुविधाएं नहीं है।

2. आयोग द्वारा मामले में 13.04.2023 को उपायुक्त, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को नोटिस भेजा गया।

3. दिनांक 17.04.2025 को आयोग मुख्यालय में सुनवाई दौरान जिलाधिकारी कांगड़ा व् प्रार्थी उपस्थित रहे। इस मामले में जिलाधिकारी ने बताया की जनजातीय भवन का निर्माण लगभग 85% सम्पन्न हो चुका है तथा उसे नई जगह स्थानांतरित करने का निर्णय सरकार का था एवं इस विषय में जिलाधिकारी ने यह भी अवगत कराया की इसी मामले में प्रार्थी उच्च न्यायालय भी गए थे जहाँ पर माननीय न्यायालय ने इसे राज्य सरकार के निर्णय का क्षेत्राधिकार माना है।

4. मामले की सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है :-

1. इस मामले में अब आयोग की तरफ से कोई भी कार्यवाही अपेक्षित नहीं है अतः बंद किया जाता है तथा अगले माह में आयोग कांगड़ा जिले की समीक्षा बैठक के दौरान वहां का स्थलीय निरीक्षण भी किया जायेगा।

डा. (डॉ) आशा लकड़ा
22/04/2025
Dr. Asha Lakra
सदस्य
भारत सरकार / Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली New Delhi

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(File No. NCST/DEV-1442/HP/1/2023-ESDW)

ATTENDANCE SHEET

Sub: Sitting to be held on 17.04.2025 at 03:40 P.M. in the case of श्री मदन भरमौरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय गद्दी जनजातीय विकास समिति, हिमाचल प्रदेश। जनजातीय भवन को अन्यत्र स्थानांतरित न करवाने के संबंध में।

Sr. No.	Department	Contact details	Signature
I National Commission for Scheduled Tribes			
1.	Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member		In Chair
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav, Deputy Secretary		
3.	Shri H. R. Meena, Research Officer		
4.	Shri Rahul, Investigator		
5.	Shri Rahul Yadav, Consultant (Legal)		
II जिला-कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश			
1.	Hemraj Baiswa D.O. Kangra, H.P.	9418757736	L
2.			
3.			
4.			
III अभ्यावेदक			
1.	— मरमौरा	9816901006	
2.			